UPMB010023052025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, सी०ए०डब्लू०, महोबा
उपस्थित–अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP 2700
दाण्डिक निगरानी संख्या–101/2025

1. गंगा कुशवाहा पुत्र श्री गनेशा कुशवाहा उम्र 52 वर्ष
2. महेश कुशवाहा पुत्र श्री गंगा कुशवाहा उम्र 27 वर्ष
3. मनोज कुशवाहा पुत्र श्री गंगा कुशवाहा उम्र 24 वर्ष
4. घनश्याम कुशवाहा पुत्र श्री गंगा कुशवाहा उम्र 22 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम अकबई पोस्ट इचौली थाना खन्ना तहसील महोबा जिला महोबा उ०प्र०। .....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती शायरा पत्नी जाहूरा निवासी ग्राम अकबई पोस्ट इचौली थाना खन्ना जिला महोबा उ०प्र०।
2. सरकार उत्तर प्रदेश। ....विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा–397 दं०प्र०सं०
थाना–खन्ना, जिला महोबा

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्तागण गंगा कुशवाहा व तीन अन्य द्वारा न्यायालय सिविल जज, जू०डि०/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महोबा जिला महोबा के परिवाद संख्या–5483/2021 श्रीमती शायरा बनाम गंगा कुशवाहा आदि अन्तर्गत धारा 452, 504, 506 भा०दं०सं० थाना खन्ना जिला महोबा में पारित आदेश दिनांकित 25.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, आक्षिप्त आदेश से विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण को भा०दं०सं० की धारा 452, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या–1/प्रार्थिनी श्रीमती शायरा द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु योजित किया गया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया है। विचारण न्यायालय में विपक्षी संख्या–1/परिवादिनी ने स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत तथा अल्लादीन व अतुल को धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत परीक्षित कराया। विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख्या–1/परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निगरानीकर्तागण को भा०दं०सं०

की धारा 452, 504, 506 अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी योजित की गयी है।

3. निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही तरीके से अवलोकन न करके सरसरी तौर आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को ताक पर रखकर मनमानी पूर्ण तरीके से आदेश पारित किया गया है जो कतई विधि संगत नहीं है। वादिया के धारा–200 दं०प्र०सं० के बयान में काफी विरोधाभाष है जिसका भी अवर न्यायालय द्वारा कोई भी गौर नही किया गया है, बल्कि सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है। विपक्षी संख्या–1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निगरानीकर्तागण द्वारा रात्रि 12.00 बजे की घटना होना तहरीर किया है और पी०डब्लू० 2 व 3 ने अपने ब्यानों में घटना का होना 11.30 बजे होना बताया है जिससे स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटी ही नही है बल्कि जो साक्षी अतुल को प्रस्तुत किया गया है उससे गांवदारी की रंजिश निगरानीकर्तागण से चली आ रही है और उपरोक्त अतुल के पिता रामबहादुर व चाचा सुरेन्द्र सिंह द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों को दर्शाकर परिवाद संख्या–6317/21 अंतर्गत धारा–379/323/504 भा०दं०सं० में आदेश कराया था जिसकी निगरानी विचाराधीन न्यायालय है। उपरोक्त परिवाद अतुल के पिता व चाचा द्वारा स्वंय को मु0 अ0 सं0–63/21 धारा–504/506 भा०दं०सं० से बचने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर फर्जी घटना दर्शाकर प्रस्तुत किया गया था। निगरानीकर्तागण पर अंतर्गत धारा–452/504/506 भा०दं०सं० में अवर न्यायालय द्वारा गलत तलब किया गया है। धारा–202 दं०प्र०सं० में प्रस्तुत साक्षी अतुल व अल्लादीन ने भी घटना का समर्थन नही किया है। पत्रावली पर इंजरी के संबंध में कोई साक्ष्य दाखिल नही है। साक्षी अतुल व अल्लादीन हैं जिसमें अपने परिवाद पत्र में स्वंय परिवादिया द्वारा कथन किया गया है कि उससे ससुर अल्लादीन खेत पर थे और वह घर पर अकेली थी जिससे स्पष्ट होता है अल्लादीन ससुर होने के नाते उपरोक्त घटना का समर्थन कर रहा है और साक्षी अतुल के पिता व चाचा के विरूद्ध रिपोर्ट पंजीकृत होने की बजह से उसके द्वारा घटना का समर्थन किया जा रहा है। जिस पर भी माननीय अवर न्यायालय ने कोई गौर नही किया है और सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अपनी उम्र–30 वर्ष बतायी है जबकि परिवादिया की उम्र –46 वर्ष है और परिवाद में प्रस्तुत हलफनामे में परिवादिया द्वारा अपनी उम्र का कोई जिक नही किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादिया गलत एवं झूठें तथ्यों का पूर्णतया सहारा लिये हुये है। साक्षी अतुल के पिता व चाचा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में परिवादिया का पति जहूरा के द्वारा फर्जी

साक्ष्य प्रस्तुत की गयी थी स्पष्ट होता है कि एक दूसरे से मिलकर उपरोक्त परिवाद में निगरानीकर्तागण को झूठा फंसाया जा रहा है, जबकि निगरानीकर्तागण के द्वारा कोई भी घटना कारित नही की गयी है। अवर न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों पर गौर न करते हुये तलब किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156 (3) दं०प्र०सं० को परिवाद के रूप मे दर्ज किया गया जिस पर माननीय अवर न्यायालय द्वारा अपने 'विवेक का प्रयोग नही किया गया है और सरसरी तौर पर तलबी आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

4. निगरानीकर्तागण पत्रावली पर बल देने हेतु विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। पत्रावली पर धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने के बाद निगरानी अंगीकृत किये जाने का आदेश प्रदान किया गया परन्तु उक्त आदेश के उपरान्त निगरानीकर्तागण लगातार न्यायालय से अनुपस्थित हैं। कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रकट है कि निगरानीकर्तागण का एकमात्र उद्देश्य पत्रावली को लम्बे समय तक विलम्बित रखना है। विपक्षीगण की ओर से विपक्षी संख्या–1 के सम्बन्ध में तामीला आख्या पत्रावली संलग्न है। अतः विपक्षी संख्या 1 पर तामीला पर्याप्त माना जाता है। विपक्षी की तामीला के बावजूद न्यायालय उपस्थित नहीं आ रही है। ऐसी दशा में पत्रावली का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जा रहा है। विपक्षी संख्या–2 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं है। अतः प्रश्नगत आदेश की पुष्टि करते हुये निगरानी खारिज की जाये।

5. विपक्षी संख्या–2 की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली व आक्षिप्त आदेश का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर दिनांक 25.03.2022 को परिवादिनी द्वारा अंकित बयानों एवं अन्य साक्षीगण अतुल व अल्लादीन के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452, 504, 506 भा०दं०सं० में तलबी की गयी है। परिवादिनी द्वारा अपने बयान में दिनांक 14.09.2021 को गंगा कुशवाहा, महेश कुशवाहा, मनोज कुशवाहा व घनश्याम कुशवाहा द्वारा मिट्टी खोदने में हुये विवाद के कारण परिवादिनी के ससुर द्वारा विपक्षीगण को मना करने पर गाली–गलौज करने लगे। परिवादिनी द्वारा भी गाली–गलौज से मना करने पर बुरी–बुरी गाली देने लगे। जिस पर परिवादिनी व उसके ससुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गये वहां पर कुछ नहीं हुआ। फिर दिनांक 22.09.2021 को रात में 12 बजे चारों अभियुक्त घर में घुस आये। उस समय परिवादिनी अकेली थी और उसके ससुर खेत में थे। पति बाहर काम करते हैं। दोनों छोटे बच्चे सो रहे थे। तब विपक्षीगण में से

मनोज ने परिवादिनी का जबरजस्ती हाथ पकड़ा, घनश्याम ने मुंह दबाया, गंगा ने तमंचा लगाया, महेश मुझे नोच रहा था और धमकी दे रहे थे कि किसी को बताओगी तो मार डालेंगे। अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। जब मैंने हल्ला किया तो सारे लोग आ गये।

6. परिवादिनी के ससुर ने अपने बयान में बताया कि 22.09.2021 को समय लगभग 11.30 बजे की घटना है। गांव के अतुल ने लगभग 12.00 बजे मेरे पास आकर बताया कि गंगा, मनोज, महेश व घनश्याम तुम्हारी बहू के साथ मारपीट कर भाग गये हैं। फिर मैं अपनी बहू को लेकर थाना खन्ना गया तो पुलिस ने कहा सुबह आना। सुबह थाने में गये तो पुलिस ने कहा कि हम लोग कार्यवाही करेंगे। अभियुक्तगण हमारे खेत की मिट्टी खोद रहे थे जिसका विवाद चला आ रहा है। इसी बात की बुराई लेकर अभियुक्तगण ने मेरी बहू के साथ ऐसी हरकत की है। अन्य साक्षी अतुल द्वारा भी घटना के सम्बन्ध में यह बयान दिया है कि उस दिन वह अपने खेत से वापस आ रहा था तो शायरा के घर के सामने शोर, हल्ला व चीखने की आवाज सुनी तो शायरा के घर के चबूतरे पर पहुंचे तो शायरा रोती–चीखती अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल रही थी और गंगा कुशवाहा और उसके तीन लड़के शायरा के घर की दीवाल फांदकर भाग रहे थे। साक्षी द्वारा उनको पकड़ने की कोशिश की गयी तो घनश्याम उसे लात मारकर भाग गया। मैं एक हाथ से विकलांग हूॅ जिस कारण मैं गिर गया था। रोती हुयी शायरा ने बताया कि चारों लोग उसके घर के अन्दर घुसकर उसके साथ मारपीट कर अभद्रता व अश्लील हकरत कर रहे थे।

7. पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट है कि उभयपक्ष के मध्य खेत की मिट्टी खोदने के सम्बन्ध में पूर्व से विवाद चल रहा था जिसके कारण उभयपक्ष के मध्य गाली–गलौज् व झगड़ा दिनांक 14.09.2021 को हुआ। जहॉ तक पीड़िता का दिनांक 22.09.2021 की रात अभियुक्तगण द्वारा तमंचा लगाकर अश्लील हरकतें करना और मारपीट किये जाने का बयान दिया है। उक्त मारपीट के सम्बन्ध में कोई मेडिकल साक्ष्य परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 22.09.2021 को अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसने के दौरान पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि दोनों छोटे बच्चे घर के अन्दर सो रहे थे। ऐसे में घटना के उपरान्त पीड़िता का चिल्लाना, रोना होने के बावजूद बच्चों का न उठना दिनांक 22.09.2021 की घटना को संदिग्ध बनाता है। इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त तिथि में भी उभयपक्ष के मध्य मिट्टी खोदने के बावत कोई विवाद पुनः हुआ हो। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत आदेश है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजी जाये।

दिनांकः 30.07.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०, महोबा।

निर्णय, आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 30.07.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०, महोबा।

टाइपकर्ता
उमेश चन्द्र गुप्ता,
कार्यकारी सहायक

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.08.01 17:22:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court